

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 332/2022/527

मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 332/2022/527

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती दीरा

पिता श्री धन्ना जी धाकड़

निवासी सुरजना तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

सुरजना (प.ह.लेमलपुर) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 668, 669,

675, 903/670, 906/674

कुल कीता 5 कुल रकबा 1.6900 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम सुरजना (प.ह.लेमलपुर) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 668, 669, 675, 903/670, 906/674

कुल कीता 5 रकबा 1.6900 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 10000 रूपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(सख्तम सुन्दर सिन्नेई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)